

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

17 पत्रावली पेश की। वकील अमरपल
उपहित 14 पत्रावली वाले जवाब एवं
तलबी रिजॉन्स 14.11.17 को पेश की

17 पत्रावली पेश की। वकील अमरपल
उपहित. पत्रावली वाले जवाब एवं
समर्थन पत्र पेश वाले तलबी रिजॉन्स
8/1/18 को पेश की

8/1/18 पत्रावली पेश की। वकील अमरपल उपहित
पत्रावली वाले जवाब व तलबी रिजॉन्स
5/2/18 को पेश की

5/2/18 पत्रावली पेश की। वकील अमरपल उपहित
वादी - प्रतिवादी ने मिलकर राजीनामा पेश किया।
जिले काउन्सिलर शा. का. किल्ला गान्ध पत्रावली
दिनांक 10.2.2018 को पेश की

देवीलाल

दंकिराजसिंह

शान्तिनाथ


10.2.2018

पत्रावली जोड अदालत में प्रस्तुत हुई
वकील अमरपल उपहित। वकील वादी द्वारा 5/1/18
वाकत 53-188 का अनुलोष नहीं करने व शीट
प्रतिवादी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने का पेश
किमान जिस पर वकील वादी को हुकम गान्ध वकील

से
ते
श
वा
2
मा

रार

बादी द्वारा जोर देना कि वह वकील के द्वारा
 वाद में बर्तित करने एवं पक्षकारों के मध्य
 आपसी राजीनामा अनुदान वाद लीट का
 वाद रिनेडर किंगन पञ्जाबी का क्वलोरम किंग
 गण। पक्षकारों द्वारा आपसी राजीनामा अनुदान
 किंग। जिस अनुदान द्वितीय पक्षों ही ३३ वाद
 वादी राजीनामा अनुदान लीट किंग का
 ही ३३ वाद दिनांक ३३ वाद है कि किंग
 रजिस्ट्रार पुरा ३३ ३३ ३३ का जोर ही
 वाद मुहम्मद आली ने ५, ६, १५, १८ ५
 अनुदान किंग ०५ लंबा २.५७ ३३ वाद
 मुक्ति के वादी का राजीनामा अनुदान ५
 दिनांक ३३ वादी नं. १ का ५ दिनांक ३३
 वादी नं. २ का ५ दिनांक घोषित किंग
 जादा ही ~~बादी~~ शेष ३३ वादी नं. ३ ३ ३
 का पूर्ववत् ५ दिनांक वदस्तुर रहेगा वकील
 वादी द्वारा धारा ५३-१८८ की ५३ नवी पक्षों
 से रजिस्ट्रार की जाती है इकी किंग का पक्ष
 द्वितीय किंग से बनाता जाय।

निर्णय सरे इजलास विचार जादा
 मुहम्मद गानन ५३/३३ की किंग मुहम्मद
 मम्दा से कर हो 
 उष चन्द अधिकारी
 वकीलपदी (पक्षी/पक्ष)

श्री जि
 1- देवीलाल
 1. कनीराम
 2. शान्तिलाल
 3. नन्दु पिता
 4. रामसिंह पि
 5. नानुसिंह पि
 6. राजुसिंह पि
 7. लाली पिता
 8. नन्दु बाई प
 9. तहसीलदार
 प्रकरण सं.
 वकील राजे
 में यह वाद
 होने पर (ल
 2.57 है. भू
 1/6 हिस्सा
 बदस्तुर रहे
 इस वा
 जावे। यह 3
 गयी।
 कमांक/राजस्व,
 मुल ही डिग्री व
 पालना कर पाल